

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2009

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम,जिसमें वह हो श्री मनोज त्रिवेदी

2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-3 3. वर्तमान वेतन रु. 9980+2100 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2010

उस जिले,उप संभाग,तालुक तथा ग्राम	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला भोपाल कोलार नगर पालिका अंतर्गत अकबरपुरा, नयापुरा, भोपाल	-	800 स्क्वायर फीट आवासी भूखंड	3,20,000/-	श्रीमती सुष्मा त्रिवेदी पत्नी के नाम पर	रजिस्ट्री द्वारा	-	-

जहां लागू न हो काट दीजिए।

हस्ताक्षर

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के
प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि
के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे
विरासत में मिली थी या उसके अपने नाम पर या उसके किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर
पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

नाम

पद

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2009

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम,जिसमें वह हो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय
2. वर्तमान धारित पद, सदस्य 3. वर्तमान वेतन रु. 47170+8900 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2010

उस जिले,उप संभाग,तालुक तथा ग्राम	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
हरदा (म.प्र.)	एक मकान इंदिरा गांधी वार्ड, हरदा (म. प्र.)	31 एकड़ बैरागढ़ जिला हरदा (म.प्र.)	लगभग 1 करोड़ रु. बाजार मूल्य कृषि भूमि का लगभग 70 लाख रु. मकान का बाजार मूल्य 7.50 लाख में क्रय किया	दोनों पैतृक सम्पत्तियां मकान स्वयं के नाम पर	पैतृक संपत्ति	15 से 20 लाख रु.	हरदा की दोनों संपत्तियां पैतृक है जो जन्म से ही धारित है। संपत्तियों का मूल्य पूर्णतः अनुमान के आधार पर आधारित बाजार मूल्य है। वार्षिक आय जो कृषि भूमि की है वह पूर्णतः अनुमान पर आधारित है। यह वर्ष 06-07 में प्रस्तुत पत्रक के आधार पर दी गई है। इसमें वृद्धि संभावित है। कृषि भूमि पर परिवार के सभी सदस्यों का नाम है वह ^{मे} की संपत्ति है।
मांगलिया इंदौर	एक फ्लैट कं. 241, कुल 3100 स्वचायर फीट-ओमेकम सीटी-2 बाई पास इंदौर	—		श्रीमती अंजना उपाध्याय पत्नी तथा स्वयं के संयुक्त नाम पर	क्रय किया गया बैंक ऋण तथा स्वयं की बचत से क्रय। ओमेकम सीटी-2 बाई पास इंदौर से क्रय किया।		

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के
प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि
के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे
विरासत में मिली थी या उसके अपने नाम पर या उसके किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर
पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद